

प्रेषक,

श्री वी०के० तख्तोना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव ।

2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग-3

तख्त : दिनांक : 6 जून, 1991

विषय : 3090 जल निगम द्वारा स्थापित कान्सद्रक्षान एण्ड डिजाइन सर्विसेज
किंग को कान्सद्रक्षान एजेन्सी डी मान्यता प्रदान करने तथा अन्य
कार्यों को सम्पादित करने के लिये अधिकृत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि
3090 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 13090 अधिनियम
संख्या-43, 1975 के अन्तर्गत धारा-14 की उपधारा-14 में दिये गये प्राविधान
के अनुसार जल निगम की कान्सद्रक्षान एण्ड डिजाइन सर्विसेज द्वारा जल
सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के कार्यों के साथ अन्य कार्यों को भी सम्पादित
करने के लिये अधिकृत किये जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। कृपया तदनुसार
अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने
का कष्ट करें ।

भवदीय,

(Signature)

श्री वी०के० तख्तोना,
मुख्य सचिव ।

संख्या-2401/11/9-3-91-249-सी/91 तदुत्तरांक।

प्रेषित :- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 111 - अधीक्षक, मृदा एवं लेखन सामग्री, 3090, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रेषित ।
- 121 - अध्यक्ष/प्रधान निदेशक, 3090 जल निगम, तख्त को उनके पत्र संख्या-52/सी एण्ड डी० यनित/सी.प.३/91, दिनांक 2-4-91 के तख्त में ।
- 151 - जल निगम उदयग, तख्त ।
- 141 - जल निगम/वि.सि.प. तख्त ।
- 151 - जल विभाग निम्नलिखित अनुभाग ।

आशा है,

(Signature)

श्री वी०के० तख्तोना,
मुख्य सचिव ।